प्रदूषण क्यों न बढ़े जब जुड़ा हो लूट-कमाई से

फ़रीदाबाद (म.मो.) जानलेवा स्थिति तक पहुंच चुका प्रदूषण स्तर बढता क्यों न जाय जब यह जुड़ चुका हो मोटी लूट कमाई से? जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिये जितने भी 'उपाय' किये जा रहे हैं, अन्ततः वे सभी सत्ताधारियों की मोटी लूट के उपाय ही सिद्ध हो रहे हैं।

प्रदूषण बढा तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बने। 80 के दशक में नारायणगढ के विधायक जगपाल सिंह गूजर को तो प्रदूषण बोर्ड की लूट-कमाई इतनी रास आई कि तीन बार इस बोर्ड का चेयरमैन बना। एक बार तो मन्त्री पद की आफ़र ठुकरा कर इस बोर्ड की चेयरमैनशिप ग्रहण की। सन् 1974 में स्थापित इस बोर्ड की चेयरमैनशिप का भाव आज 50 करोड़ से भी ऊपर निकल चुका है।

बतौर मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने तो किसी और पर भरोसा करने की बजाय अपने निकट सम्बन्धी को ही इस बोर्ड का मेंबर सेक्रेटरी बना कर रखा ताकि लूट-कमाई का पूरा हिसाब बराबर मिलता रहे। जाहिर है जब मुख्यमंत्री और बोर्ड चेयरमैन लूट कमाई में जुटेंगे तो इनके नीचे के तमाम कर्मचारी/अधिकारी प्रदूषण घटाने की बजाय लूट-कमाई बढाने पर ही ज़ोर लगायेंगे। फ़िर चाहे वायु और जल कितना ही प्रदूषित होता रहे।

वाहनों के धुएं से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिये प्रदूषण जांच केन्द्र के नाम पर जगह-जगह लूट केन्द्र खोल दिये गये। वाहनों के धुएं की जांच के नाम पर कटने वाली पर्ची को लोगों ने 'धूमा पर्ची' का नाम दिया। यानी कि 'धूमा पर्ची' कटाओ और फ़िर जितना मर्जी धूमा छोड़ो। यही स्थिति कारखानों से निकलने वाले धुएं की है; प्रदूषण बोर्ड को रिश्वत देकर जितना और जैसा मर्जी धूआ छोड़ो।

जनता के पैसे से खड़े किये गये घटिया क्वालिटी के थर्मल पावर प्लाटों में से एक प्लांट इस शहर में भी तीसियों साल चला जिसने बिजली कम धुआं ज़्यादा पैदा किया। उस पर कोई प्रदूषण कानून लागू नहीं होता था। वह प्लांट तो खुद ही अपनी मौत मर कर बंद हो गया। वरना आज भी धुआं उगलता नज़र आता या फ़िर दिल्ली के प्लांटों की तरह बन्द करना पड़ता।

बिजली की अपर्याप्त एवं अनिश्चित सप्लाई के चलते लोगों को छोटे-बड़े जनरेटरों का इस्तेमाल करना पड़ता है। मिट्टी तेल व डीज़ल से चलने वाले ये जनरेटर भयंकर वायु प्रदूषण तो करते ही हैं साथ में शोर इतना करते हैं कि पास में ठहरना कठिन हो जाय। दिल्ली में तो इन पर कुछ पाबंदी लगाने की बात चली है परन्तु हरियाणा सरकार अभी और प्रदूषण बढने का इन्तज़ार कर रही है।

प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर दिल्ली में भारी वाहनों के गुजरने पर रोक लगा दी। वैकल्पिक बाईपास केएमपी (कुंडली-मानेसर-पलवल) व केजीपी (कुंडली गाजियाबाद पलवल) जो 20 वर्ष पहले बन कर चालू हो जाने चाहियें थे, अगले कई वर्षों तक चालू होते नज़र नहीं आ रहे। मजे की बात तो यह है कि इन बाईपासों पर सरकार का कोई पैसा खर्च नहीं होना। इन्हें निजी कम्पनियां बना कर, टोल टैक्स के रूप में जनता से वसूलेंगी। मसला केवल ठेका लेने वाली कम्पनियों से राजनेताओं की सौदेबाज़ी का है।

बाईपास न होने के कारण भारी वाहनों को लम्बा सफ़र और वह भी उबड़-खाबड़ सड़कों से तय करना पड़ता है जिससे अधिक डीज़ल जल कर वायु को कहीं अधिक प्रदूषित करता है। इतना ही नहीं दिल्ली में प्रवेश करने वाले भारी वाहनों पर सरकार ने मोटा प्रदूषण टैक्स लगा कर बीते करीब दो सालों में 700 करोड़ से अधिक का धन तो जनता से लूट लिया परन्तु प्रदूषण से कोई राहत नहीं दिलाई।

बढते प्रदूषण में सीवेज व सड़कों से लगातार उड़ती धूल तथा वाहनों में जलने वाले घटिया डीज़ल-पेट्रोल को नज़रंदाज़ करके, इसका ठीकरा भी किसानों के सिर फ़ोड़ दिया गया। उनके द्वारा जलाई जाने वाली पराली से प्रदूषण में मात्र 2 प्रतिशत का इजाफ़ा होता है परन्तु शोर इतना कि मानों सारा प्रदूषण उन्हीं की वजह से हो रहा है। चीनी मिलों में जलने वाली खोई (रस निचोड़ लेने के बाद बचे गन्ने) को भी प्रदूषण के लिये जिम्मेवार मानते हुए पलवल की चीनी मिल भी 2 सप्ताह बंद रखी गयी। वैज्ञानिक तथ्य है कि लकड़ी पराली व खोई आदि के जलने से तो नाम मात्र का ही प्रदूषण होता है; असली प्रदूषण पैट्रोल पदार्थों, प्लास्टिक-एवं रबड़ आदि के जलने से ही होता है।

भवन निर्माण करते समय जो धूल उड़ती है, उसे रोकने के उपाय तो हैं, परन्तु उन पर होने वाले खर्च से बचाने के लिये धूल को उड़ने दिया जाता है। इसी तरह निर्माण सामग्री के लिये चलाये जाने वाले स्टोन क्रैशर भी अतिरिक्त खर्च बचाने के लिये धूल को उड़ने देते हैं। यह सब प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड व प्रशासनिक अधिकारियों की मूक सहमति से ही संभव होता है जिसकी वाजिब कीमत वसूली जाती है।

पूरी दुनिया में यूरो-6 से भी एक दर्जा ऊपर का पैट्रोल व डीज़ल जला कर प्रदूषण को घटाया जा रहा है जबकि इस देश में अभी तक घटिया किस्म का (यूरो-4) पैट्रोल-डीजल चलता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की समुचित व्यवस्था न होने के कारण लोग निजी वाहनों से यात्रा करने को मजबूर हैं जिससे जाम और प्रदूषण का बढना स्वाभाविक है। प्रदूषण बढा तो पर्यावरण मंत्रालय, एनजीटी (राष्ट्रीय हरित ट्रब्यूनल) आदि के नाम पर लूट की नई दुकानें खुल गयी जहां से फ़ाइलें पास कराने की मोटी फ़ीस अलग लगती है। सुप्रीम कोर्ट के वकील एमसी मेहता व तत्कालीन जज कुलदीप सिंह ने भी पर्यावरण के नाम पर अच्छी खासी दुकान चलाई थी। गंगा-यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के नाम पर एक मन्त्रालय अलग से चल रहा है जिसके द्वारा लाखों करोड़ रुपया डकारे जाने के बावजूद दोनों नदियां सड़े हुए गंदे नाले सरीखी बह रही हैं। यही दो नदियां क्यों, अन्य नदियों व नहरों का भी हाल बेहाल होता जा रहा है। यदि यह प्रदूषण न होता तो लाखों अरब की लूट-कमाई का धंधा कैसे चलता? सत्ता में बैठ कर लूट का यह धंधा करने वाले देश की जनता को दिन-ब-दिन मौत के नज़दीक धकेल रहे हैं। इन्हें देश भक्त कहा जायेगा या देशद्रोही?

वरूण श्योकंद की पहल पर एनजीटी ने बिल्डरों पर लगाया जुर्माना

फ़रीदाबाद (म.मो.) नहर पार बस रहे ग्रेटर फ़रीदाबाद की सैंकड़ों हाउसिंग सोसायटियों में बनाये गये हज़ारों फ्लैटों मे सीवरेज की सुविधा न होने से सड़े हुए सीवेज को टैंकरों द्वारा निकाल कर खुले में फ़ेंका जा रहा है। इसके चलते इस क्षेत्र में गंदे व सड़े पानी के अनेकों तालाब बन चुके हैं। एक ओर तो स्वच्छता अभियान की नौटंकी चला कर खुले में शौच करने से ग़रीबों को रोका जा रहा है वहीं दूसरी ओर हज़ारों शौचालयों का मल-मूत्र लाकर खुले में डाला जा रहा है।

बरसों से चल रहा यह खेल न तो पर्यावरण विभाग को नज़र आ रहा था और न ज़िला प्रशासन व सत्ताधारी नेताओं को। नज़र तो जरूर सब को आता रहा है, परन्तु अनदेखा करने की कीमत लेकर सब खामोश रहते आये हैं। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता वरूण श्योकंद ने सारे मामले को अच्छी तरह से बांध कर दिल्ली स्थित एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रब्यूनल) तक पहुंचाया जहां महीनों की नाटकबाज़ी के बाद एनजीटी ने 12 बिल्डरों पर 5-5 लाख व एक पर 25 लाख का जुर्माना गत सप्ताह लगाया है। इसके अलावा कुछ बिल्डरों को 50-50 लाख की बैंक गारंटी देने का भी आदेश दिया है। उनके द्वारा समय पर सब कुछ ठीक न किये जाने पर यह रकम बैंक से जब्त कर ली जायेगी।

एक जागरूक एवं जनहितैषी सामाजिक कार्यकर्ता का कर्त्तव्य निभाते हुए श्योकंद ने तो अपने बल-बूते प्रदूषण की रोक-थाम के लिये कुछ किया; परन्तु सवाल यह खड़ा होता है कि क्या एनजीटी सामान्य नागरिकों एवं समाजसेवियों के सहारे चल रहा है? सरकार द्वारा मोटे खर्च पर चलाये जा रहे प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड व

अन्य विभाग क्या कर रहे हैं, क्या वे केवल मोटे वेतन व लूट-कमाई के लिये ही जनता के सिर पर बैठा रखे हैं?? एनजीटी ने बिल्डरों के विरुद्ध कुछ कार्यवाही की, अच्छा किया, परन्तु उन सरकारी विभागों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई जिन्होंने इस प्रदूषण को फ़लने-फूलने को मौका दिया?

सर्वविदित है कि कोई भी मकान बने या कॉलोनी या पूरा सेक्टर, इसके लिये सरकार के विभिन्न विभाग लाइसेंस व नक्शे पास करने का काम करते हैं। इसके लिये मोटी सरकारी फ़ीस के अलावा अच्छी-खासी रिश्वत सभी विभागों के अलावा सरकार के उच्चतम स्तर तक पहुंचती है। कोई भी कॉलोनाइज़र अपनी बनाई हुई कॉलोनी अथवा सेक्टर के भीतर की सड़क, सीवर, जलापूर्ति आदि की व्यवस्था स्वयं करता है, लेकिन उससे बाहर की व्यवस्था सरकार के विभिन्न विभाग करते हैं। इस बाहरी व्यवस्था के नाम पर राज्य सरकार ने ग्रेटर फ़रीदाबाद के वासियों से 8000 करोड़ से भी अधिक की धनराशि करीब 10 वर्ष पूर्व लेकर डकार ली है। इस राशि से बनने वाली सीवर लाइन व सड़कें अब तक नहीं बनाई। क्यों? कोई पूछनेवाला नहीं। एनजीटी भी नहीं पूछ सकता।

अगला सवाल यह है कि जब सीवर लाइन ही नहीं बनाई गयी थी तो बिल्डरों ने फ्लैटों में लोगों को बसा कैसे दिया? बताने की जरूरत नहीं कि जब भी कोई मकान बनता है तो उसमें बसने से पहले सरकारी विभाग पूरी जांच करके एक प्रमाणपत्र जारी करता है कि मकान रहने लायक हर प्रकार से फ़िट है। फ्लैट निवासी बताते हैं कि तमाम बिल्डरों ने ऐसे प्रमाणपत्र सरकार से प्राप्त कर रखे हैं। ऐसे में एनजीटी उस सरकारी अधिकारी की गर्दन नापने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाता जिसने मोटी रिश्वत खाकर उक्त प्रमाणपत्र जारी किये हैं।

जानकार बताते हैं कि अधिकारी ने अपनी गर्दन बचाने के लिये बिल्डरों से यह लिखवा लिया था कि वे सीवेज निस्तारण की व्यवस्था स्वयं एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) आदि लगा कर, कर लेंगे, लेकिन यह नुक्ता केवल कानून को धोखा देने भर के लिये है। यदि इस तरह से लिख कर देने से ही काम चलता हो तो फ़िर प्रत्येक मकान अथवा कॉलोनी बनाने वाला ऐसा ही लिख कर काम चलाता रहेगा; न किसी को सड़क बनाने को जरूरत होगी न सीवर लाइन की।

प्रमाणपत्र देने वाला अधिकारी तो चलो जनता की ऐसी-तैसी कर गया; उसके बाद जो खुले में सीवेज के तालाब बनने लगे तो पर्यावरण का रखवाला प्रदूषण विभाग क्या कर रहा था? उसने क्या करना था, जब एक अधिकारी रिश्वत खाकर थोक के भाव फ़र्जी प्रमाणपत्र जारी कर सकता है तो इस विभाग को क्या पड़ी थी फटे में टांग फसाने की? उस अधिकारी ने तो फ़िर भी कुछ लिख कर दिया था, इन्हें तो कुछ लिखना भी नहीं था; केवल, कुछ न लिखने व आंखें मूंदे रखने के अच्छे-खासे पैसे मिल रहे थे। इन सबके ऊपर बैठा ज़िला प्रशासन व राजनेताओं का तो कहना ही क्या, वे तो बने ही केवल राज करने को हैं, काम करने को थोड़े ही।

अगर एनजीटी वास्तव में ही पर्यावरण संरक्षण के लिये बना है तो उसे स्वतः

पर्यावरण योद्धा वरूण श्योकंद

अपने सूत्रों से तमाम प्रदूषण सम्बन्धी जानकारियां प्राप्त करके संज्ञान लेना चाहिये न कि मुकदमेबाज़ी वाला तरीका अपनाना चाहिये। उक्त सारे मामले में वरूण श्योकंद को अनेकों चक्कर एनजीटी दरबार के काटने पड़े, वकील खड़ा करना पड़ा। दूसरी ओर बिल्डरों ने भी भारी-भरकम फ़ीसों वाले वकील खड़े कर दिये और महीनों अदालती ड्रामा चला। इस सबके बावजूद भी ग्रेटर फ़रीदाबाद को न जाने कब इस भयंकर प्रदूषण से राहत मिल पायेगी। कुल मिला कर आधुनिक युग में यह किसी अजूबे से कम नहीं है कि कोई पूरा शहर ही बिना सीवर लाइन के बसा दिया गया हो।

बिल्डरों के बाद नगर निगम का क्या करेगा एनजीटी?

एनजीटी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कुछ बिल्डरों को तो थोड़ा झटका दे दिया, लेकिन उनसे भी ज़्यादा प्रदूषण फ़ैलाने वाले नगर निगम की करतूतों का संज्ञान एनजीटी कब लेगा?

विदित है कि यमुना एक्शन प्लान व जवाहर लाल नेहरू मिशन के तहत इस औद्योगिक शहर में हज़ारों करोड़ खर्च करके अनेकों छोटी-बड़ी सीवर लाइने बिछाई गयी थी तथा इन लाइनों के सीवेज को ट्रीट करने के लिये 3 एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) लगाये गये थे। इन प्लांटों से पूर्व शहर भर का सीवेज गुड़गांव व आगरा नहर के अलावा सीधे यमुना नदी में बहा दिया जाता था। इसे रोकने के लिये उक्त एसटीपी लगाये गये थे। परन्तु आज की हालत यह है कि उक्त तीनों प्लांटों में से एक भी ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा है। कुछ प्लांटों में तो सीवेज पहुंचाने वाली पाइप लाइन ही पर्याप्त नहीं है, कुछ की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि वे काम करने लायक ही नहीं हैं। उक्त तीन प्लांटों में से एक बादशाहपुर गांव वाला तो नगर निगम तथा मिर्जापुर व प्रतापगढ वाला राज्य सरकार के जन स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रण में है। मिर्जापुर प्लांट की हालत का अन्दाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि तिगांव रोड पर, मिर्जापुर के निकट से गुजरते समय सड़ांद के मारे निकलना मुश्किल हो जाता है। पास जाकर देखें तो कई एकड़ में सीवेज का तालाब भरा खड़ा है। ऐसी ही स्थिति प्रतापगढ की है।

नगरनिगम अधिकारियों का कहना है कि उक्त तीन प्लांट शहर की जरूरत के लिये अपर्याप्त हैं। इसलिये 350 करोड़ रुपये की लागत से नये एसटीपी लगाने की योजना है। जाहिर है तब तक शहर का सीवेज उक्त नहरों व यमुना में सीधे बहता रहेगा।

करोड़ों का धंधा है सीवेज टैंकरों का

सोसायटियों से सीवेज निकालने वाले ट्रेक्टर टैंकरों का कुल कारोबार दो से ढाई करोड़ का बताया जाता है ये टैंकर सीवेज को नहरों में डालते हैं या मौका पाकर आसपास के खुले मैदान में डाल देते हैं। यही मैदान धीरे-धीरे तालाब का रूप ले लेते हैं।

मजे की बात तो यह है कि टैंकरों द्वारा सीवेज ढोने का धंधा हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिये स्थानीय पुलिस व राजनेताओं का संरक्षण आवश्यक है। राजनेताओं में, इस काम के लिये आजकल मामाश्री का नाम सबसे ऊपर चल रहा है।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06